POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 25.06.2025

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 02 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से कुल 77330 रूपये नकद व मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.06.2025** को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए वादी के अस्पताल में रिकवरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते हुए एमसीडी एकाउंट सेक्शन के कर्मचारी के साथ मिलकर कैशलेस से संबंधित अस्पताल को प्राप्त होने वाली करीब 09 करोड़ रुपये की धनराशि को धोखाधड़ी करते हुए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराने वाले 02 अभियुक्त 1- वैभव कुमार पुत्र बीरेन्द्र सिंह 2- अंकुर त्यागी पुत्र बोदेश त्यागी को गाजियाबाद से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 77330 रूपये नकद व 01 मोबाइल आई फोन 15 प्रो बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त वैभव द्वारा वादी के अस्पताल में रिकवरी ऑफिसर के पद पर कार्य करते हुए एमसीडी के माध्यम से कैशलेस व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को अस्पताल के एकाउंट को बदल कर अपने एकाउंट में करीब 09 करोड़ रूपये की धनराशि की धोखाधड़ी की गई थी। अभियुक्त द्वारा अस्पताल की अधिकृत ईमेल आईडी के माध्यम से एमसीडी के एकाउंट सेक्शन को एक मेल प्रेषित किया गया जिसमें पूर्व से एमसीडी द्वारा अस्पताल को दी जाने वाली कैशलेस धनराशि के एकाउंट को परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया था। अस्पताल के बैंक एकाउंट के स्थान पर अभियुक्त वैभव कुमार द्वारा एमसीडी को तीन नए एकाउंट भेजे गए जिसमें कैशलेस से संबंधित धनराशि को प्रदान करने का अनुरोध किया गया जिस पर एमसीडी द्वारा विभिन्न मरीजों के कैशलेस व्यवस्था से संबंधित मेडिकल बिल का भुगतान उन खातों में कर दिया गया। मेडिकल भुगतान की धनराशि को अभियुक्त वैभव कुमार द्वारा अपने अन्य साथियों के माध्यम से निकालकर आपस में बांट लिया गया था।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पहले कड़कड़डूमा दिल्ली के एक अस्पताल में रिकवरी ऑफिसर के पद पर कार्य करता था जहां उसकी मुलाकात विजय कुमार अग्रवाल व अंकुर त्यागी से हुई। अंकुर त्यागी अपने रिश्तेदार के साथ अस्पताल चलाता था। वहीं से इन लोगों में दोस्ती हो गई फिर अभियुक्त नोएडा स्थित अस्पताल में रिकवरी अधिकारी के पद पर कार्य करने लगा जहां पर अभियुक्त को विजय द्वारा सलाह दी गई कि यदि वह अस्पताल के एकाउंट को बदलकर कोई नया एकाउंट एमसीडी को मेल कर देता है तो उसकी एमसीडी के एकाउंट सेक्शन में बात हो गई है वह उन बैंक एकाउंट में रूपये ट्रांसफर कर देगा और उस पैसे को हम लोग आपस में मिलकर बांट लेंगे। वैभव द्वारा नये बैंक एकाउंट एमसीडी को भेजे गए, जिस पर एमसीडी द्वारा उन एकाउंट में रुपये ट्रांसफर कर दिया गया। जो 03 बैंक एकाउंट में कई ट्रांजैक्शन के माध्यम से करीब 09 करोड रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। बैंक एकाउंट शुभम नाम के व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए थे जो इनका मित्र है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- वैभव कुमार पुत्र बीरेन्द्र सिंह निवासी इंदिरापुरम, गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष ।
2- अंकुर त्यागी पुत्र बोदेश त्यागी निवासी इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 316(4)/318(4)/336(3)/340(2)/338/61(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- कुल 77330 रुपये नकद।

2- 01 मोबाइल फोन आई फोन 15 प्रो।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु-:-

1- साइबर से संबंधित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर- 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।

2- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड अपडेट करने के लिए बैंक द्वारा कोई लिंक नहीं भेजा जाता है।

3- यदि संभव हो तो सदैव भारत सरकार के द्वारा अधिकृत तथा सेबी द्वारा निगरानी की जाने वाली शेयर मार्केट में ही निवेश करें।

4- यू ट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप लाइक कर धन कमाने या टास्क पूरा करने के नाम पर धन कमाने का ऑफ़र देने वाली फर्जी कॉल से बचें। धोखेबाज के बहकावे में आकर पैसा ट्रांसफर न करें।

2. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा, वादी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर धोखाधड़ी से 3,26,00,000 रुपये की ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.06.2025** को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा संकलित अभिसूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 3,26,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ ठगी करने वाला 02 शातिर साइबर अपराधियों 1. सुमित शर्मा पुत्र यतेन्द्र शर्मा 2. आकाश शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा को यमुना एक्सप्रेस-वे से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों के कब्जे घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, 01 सिम कार्ड व एक पैन कार्ड की छायाप्रति बरामद की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 12-06-2025 को वादी द्वारा थाना साइबर क्राइम पर सूचना दी कि अभियुक्तों द्वारा रेट फाइन इनवेस्टेमेंट लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी बनकर शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 3,26,00,000 रुपये को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिये गये। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कर बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करवाया गया। बैंक खातो में करीब 43 लाख रूपये फ्रीज कराये गये है एवं 25 लाख रुपये रिफंड कराने हेतु बैंक को मेल प्रेषित किये गये।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुमित शर्मा द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखाधडी कर वादी से 22 लाख रुपए प्राप्त किये। अभियुक्त सुमित शर्मा के उक्त खाते पर 01 एनसीआरपी कंप्लेंट चेन्नई से भी दर्ज है। अभियुक्त सुमित शर्मा का साथी आकाश शर्मा भी अपराध में बराबर शामिल रहा इसके द्वारा सुमित शर्मा के उक्त खाते को ऑपरेट किया गया एवं नेपाल जाकर उक्त खाते में प्राप्त की गई धोखाधड़ी की धनराशि को अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया, जिसमें कुछ धनराशि ट्रांसफर हो पाई और खाता फ्रीज हो गया। अभियुक्त द्वारा खोले गए बैंक खाते को NCRP PORTAL पर चैक करने पर कुल 02 शिकायतें (उत्तर प्रदेश-01,चेन्नई-01) प्राप्त हुई है। अभियुक्त सुमित के खाते में करीब 22 लाख रुपये प्राप्त हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- सुमित शर्मा पुत्र यतेन्द्र शर्मा उम्र करीब- 31 वर्ष।
2- आकाश शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा उम्र करीब- 22 वर्ष।
3-

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-54/2025 धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनस व 66 डी आइटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, 01 सिम कार्ड व एक पैन कार्ड की छायाप्रति।

3. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा 25000 रूपये का इनामिया/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.06.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से 25000 रूपये का इनामिया/वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र विक्रम बैरागी को थाना फेस-2 क्षेत्र के अंतर्गत एक कम्पनी के पीछे से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 15.06.2025 को अभियुक्त गौरव द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनों को लाठी, डंडों व ईंट पत्थरों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया एवं उन पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना फेस-2 पर अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था। सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. गौरव पुत्र विक्रम बैरागी निवासी ग्राम इलाहाबास, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 493/2022 धारा 147/148/504/452/308/325 भादवि, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 282/2025 धारा 191(2)/190/109(1)/333/3(5) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर।